न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 58 / 2022

दायर दिनाँक 14.02.2022

वादी

गोविन्दराम पुत्र डुंगाराम जाति बलाई निवासी सरदारपुरा खुर्द तहसील तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 फौत

1/1 लिछमादेवी पत्नि स्व0 गोविन्दराम
1/2 मुन्नीदेवी पुत्री स्व0 गोविन्दराम
1/3 डालादेवी पुत्री स्व0 गोविन्दराम
1/4 पुर्णमल पुत्र स्व0 गोविन्दराम
1/5 गिरधारी पुत्र स्व0 गोविन्दराम, समस्त जाति बलाई निवासी सरदारपुरा खुर्द हाल निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. केसाराम पुत्र डुंगाराम
2. छोटूराम पुत्र जेठाराम
3. नाथी पुत्री जेठाराम
4. शान्ति पुत्री जेठाराम
5. पूजा पुत्री रामदेव
6. पिंकी पुत्री रामदेव
7. राजूराम पुत्र रामदेव
8. सुन्दरी पत्नी रामदेव
9. सुशीला पुत्री रामदेव समस्त जाति बलाई निवासीगण सरदारपुरा खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. बैंक मेनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर
11. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादीगण।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक 03.07.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है मौजा सरदारपुरा खुर्द पटवार हल्का नूंवा की सरहद में खेत खसरा सं0 302 रकबा 1.3700 हैक्टे0, खसरा सं0 631 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 632 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 633 रकबा 0.0200 हैक्टे, खसरा सं0 634 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 635 रकबा 3.3600 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **03.08.2023** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांकः 1469 दिनाँक 29.12.2023 के द्वारा [illegible] पर बहस विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा [illegible] विभाजन करवाने हेतु पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्र[illegible]नुसार [illegible] है। अतः सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने [illegible] तहसीलदार मौलासर [illegible] 1469 दिनाँक 29.12.2023 तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित [illegible] है तथा आदेश दिया को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री [illegible] जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा सरदारपुरा खुर्द पटवार हल्का नूंवा की सरहद में खेत खसरा सं0 302 रकबा 1.3700 हैक्टे0, खसरा सं0 631 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 632 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 633 रकबा 0.0200 हैक्टे, खसरा सं0 634 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 635 रकबा 3.3600 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1469 दिनाँक 29.12.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1469 दिनाँक 29.12.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 03.07.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner